क्रम-संख्या—58

रजि० नं० एल० डब्ल्यु०/एन० पी० 6
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 16 मार्च, 1999

फाल्गुन 25, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 624/सत्रह वि-1-1 (क) 4/1999

लखनऊ, 16 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 16 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 12 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में खण्ड (छ) और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(छ) मंत्री से भिन्न राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;

(ज) मंत्री से भिन्न राज्य विधान परिषद् का एक सदस्य जो उक्त परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(4—क) जहां यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में निर्दिष्ट कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाय, वहां, इस बात के होते हुये भी कि उपधारा (4) के अधीन उसकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह जायगा और इस प्रकार से हुई रिक्ति को उसके शेष पदावधि तक के लिये भरा जायगा।"

(ग) उपधारा (7) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द 'मंत्री' के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री भी सम्मिलित हैं।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव।

No. 624 (2)/XVII-V—1-1 (KA)-4-1999

Dated Lucknow, March 16, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwa-Vidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 16, 1999 :—

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999

(U.P. Act No. 8 of 1999)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 12, 1999.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958, hereinafter referred to as the principal Act,— Amendment of section 10 of U.P. Act no. 45 of 1958

(a) in sub-section (1), *for* clauses (g) and (h) the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(g) Two members of the Legislative Assembly of the State, other than a Minister, to be elected by the said Assembly ;

(h) One member of the Legislative Council of the State, other than a Minister, to be elected by the said Council ;"

(b) *after* sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4-A) Where a member referred to in clause (g) or clause (h) or sub-section (1) as the case may be, is appointed as a Minister he shall cease to be member of the Board notwithstanding that his term under sub-section (4) has not expired and the vacancy so caused shall be filled for the residue of his term."

(c) in sub-section (7), at the end, the following explanation shall be *inserted*, namely :—

"*Explanation*—For the purpose of this section, the word 'Minister' includes the Chief Minister, a Minister of State or a Deputy Minister."

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1999 is hereby repealed. Repeal and Saving

U.P. Ordinance No. 2 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Adhyadesh referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 282 सा० (विधा०) —(2439)—1999—850 (मैक०)।